

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे.(1164)/2018/

दिनांक :

आदेश

सुश्री निशा जाटोलिया, लैब टेक्नीशियन प्रा0स्वा0केन्द्र पीपल्दा, खण्ड-इटावा कोटा को राजस्थान सेवा नियम 110 के तहत बीएससी(एम.एल.टी) के नियमित कोर्स हेतु दिनांक 15.04.2018 से 14.04.2020 तक 2 वर्ष की अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

दिनांक : 07/06/2018

क्रमांक :- ई-33/ले.टे.(1164)/2018/358

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा, कोटा।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्रा0स्वा0केन्द्र पीपल्दा (कोटा)।
4. सुश्री निशा जाटोलिया, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

6. उभारी सर्वर रक्त पुस्का०



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर